

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 517] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 19, 1971/आश्विन 27, 1893

No. 517] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 1971/ASVINA 27, 1893

इस भाग में भिन्न-वृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th October 1971

S.O. 4030/18A/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of opinion that the M/s. Minerva Mills Ltd., Bangalore, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation Ltd., New Delhi (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking namely, the M/s. Minerva Mills Ltd., Bangalore, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order; and
- (iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. 9(17)/Lic.Pol/70.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1971

का० आ० 4030/18ए/आई०जी०आर०ए०-71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स मिनर्वा मिल्स लि०, बंगलौर नामक एक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके सम्बन्ध में औद्योगिक (विकास तथा विनिर्माण) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है ;

अतः, अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली (जिसे एतदोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रण कहा जायेगा) को मैसर्स मिनर्वा मिल्स लि०, बंगलौर नामक उपरोक्त सम्पूर्ण उपक्रम का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

- (1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेगा;
- (2) प्राधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यभार सम्भालेगा;
- (3) केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझेगी, तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[सं० 9(17)/लाई० पोलि०/70]

सुरेश कुमार सहगल,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।